संख्या-21/2019/275 ई-2/तेरह-2019-370/1999

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 02 फरवरी, 2019

विषय:- मेसर्स सरसादी लाल आसवनी एण्ड केमिकल वर्क्स, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 270 लाख ली0 वार्षिक से बढ़ाकर 340 लाख ली0 वार्षिक तथा उक्त का 80 प्रतिशत अर्थात 272 लाख ली0 वार्षिक पेय मदिरा के उत्पादन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-112/दो-प्रा0डी0-21/मन्सूरपुर आसवनी, दिनांक 17 जनवरी 2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 24-01-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त पत्र संख्या-248 ई-2/ तेरह-2019-95/2015, दिनांक 31 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स सरसादी लाल आसवनी एण्ड केमिकल वर्क्स मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 82 कि0ली0 प्रतिदिन (330 दिवस के आधार पर 270 लाख ली0 वार्षिक) से बढ़ाकर 100 कि0ली0 प्रतिदिन (340 दिवस के आधार पर 340 लाख ली0 वार्षिक) तथा पेय क्षमता 216 लाख ली0 वार्षिक से बढ़ाकर प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता का 80 प्रतिशत अर्थात 272 लाख ली0 वार्षिक पेय मदिरा के उत्पादन की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स, उद्योग मंत्रालय एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्र/राज्य के संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in